

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
APR-20	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
MAY-20	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
JUNE-20	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
JULY-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
AUG-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
SEPT-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
OCT-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
NOV-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
DEC-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
JAN-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
FEB-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
योग	--	433600	73712	16080	0	523392	0	50724	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		433600	73712	16080	0	530300	5100	50724	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
APR-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
MAY-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
JUNE-20	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
JULY-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
AUG-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
SEPT-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
OCT-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
NOV-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
DEC-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
JAN-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
FEB-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
योग	--	446800	75956	16080	0	538836	0	52272	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		446800	75956	16080	0	545744	5100	52272	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
APR-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
MAY-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
JUNE-20	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
JULY-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
AUG-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
SEPT-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
OCT-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
NOV-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
DEC-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
JAN-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
FEB-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
योग	--	460000	78200	16080	0	554280	0	53812	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		460000	78200	16080	0	561188	5100	53812	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
APR-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
MAY-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
JUNE-20	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
JULY-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
AUG-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
SEPT-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
OCT-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
NOV-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
DEC-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
JAN-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
FEB-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
योग	--	474000	80580	16080	0	570660	0	55452	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		474000	80580	16080	0	577568	5100	55452	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
APR-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
MAY-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
JUNE-20	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
JULY-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
AUG-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
SEPT-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
OCT-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
NOV-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
DEC-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
JAN-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
FEB-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
योग	--	488400	83028	16080	0	587508	0	57136	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		488400	83028	16080	0	594416	5100	57136	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
APR-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
MAY-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
JUNE-20	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
JULY-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
AUG-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
SEPT-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
OCT-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
NOV-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
DEC-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
JAN-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
FEB-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
योग	--	502800	85476	16080	0	604356	0	58824	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		502800	85476	16080	0	611264	5100	58824	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
APR-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
MAY-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
JUNE-20	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
JULY-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
AUG-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
SEPT-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
OCT-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
NOV-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
DEC-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
JAN-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
FEB-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
योग	--	518000	88060	16080	0	622140	0	60604	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		518000	88060	16080	0	629048	5100	60604	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
APR-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
MAY-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
JUNE-20	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
JULY-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
AUG-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
SEPT-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
OCT-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
NOV-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
DEC-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
JAN-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
FEB-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
योग	--	533600	90712	16080	0	640392	0	62428	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		533600	90712	16080	0	647300	5100	62428	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	महंगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
APR-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
MAY-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
JUNE-20	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
JULY-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
AUG-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
SEPT-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
OCT-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
NOV-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
DEC-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
JAN-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
FEB-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
योग	--	549200	93364	16080	0	658644	0	64252	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		549200	93364	16080	0	665552	5100	64252	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
APR-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
MAY-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
JUNE-20	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
JULY-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
AUG-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
SEPT-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
OCT-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
NOV-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
DEC-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
JAN-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
FEB-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
योग	--	565600	96152	16080	0	677832	0	66172	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		565600	96152	16080	0	684740	5100	66172	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
APR-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
MAY-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
JUNE-20	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
JULY-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
AUG-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
SEPT-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
OCT-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
NOV-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
DEC-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
JAN-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
FEB-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
योग	--	582400	99008	16080	0	697488	0	68140	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		582400	99008	16080	0	704396	5100	68140	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
APR-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
MAY-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
JUNE-20	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
JULY-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
AUG-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
SEPT-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
OCT-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
NOV-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
DEC-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
JAN-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
FEB-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
योग	--	600000	102000	16080	0	718080	0	70196	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		600000	102000	16080	0	724988	5100	70196	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
APR-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
MAY-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
JUNE-20	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
JULY-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
AUG-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
SEPT-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
OCT-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
NOV-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
DEC-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
JAN-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
FEB-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
योग	--	618000	105060	16080	0	739140	0	72304	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		618000	105060	16080	0	746048	5100	72304	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
APR-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
MAY-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
JUNE-20	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
JULY-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
AUG-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
SEPT-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
OCT-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
NOV-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
DEC-20	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
JAN-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
FEB-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
योग	--	636800	108256	16080	0	761136	0	74504	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		636800	108256	16080	0	768044	5100	74504	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	महंगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	44900	7633	1840	0	54373	0	5253	87	
APR-20	4600	44900	7633	1840	0	54373	0	5253	87	
MAY-20	4600	44900	7633	1840	0	54373	0	5253	87	
JUNE-20	4600	44900	7633	1840	0	54373	0	5253	87	
JULY-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
AUG-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
SEPT-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
OCT-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
NOV-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
DEC-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
JAN-21	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
FEB-21	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
योग	--	549200	93364	22080	0	664644	0	64252	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		549200	93364	22080	0	671552	5100	64252	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
APR-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
MAY-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
JUNE-20	4600	46200	7854	1840	0	55894	0	5405	87	
JULY-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
AUG-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
SEPT-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
OCT-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
NOV-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
DEC-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
JAN-21	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
FEB-21	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
योग	--	565600	96152	22080	0	683832	0	66172	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		565600	96152	22080	0	690740	5100	66172	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
APR-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
MAY-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
JUNE-20	4600	47600	8092	1840	0	57532	0	5569	87	
JULY-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
AUG-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
SEPT-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
OCT-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
NOV-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
DEC-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
JAN-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
FEB-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
योग	--	582400	99008	22080	0	703488	0	68140	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		582400	99008	22080	0	710396	5100	68140	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
APR-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
MAY-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
JUNE-20	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
JULY-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
AUG-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
SEPT-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
OCT-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
NOV-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
DEC-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
JAN-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
FEB-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
योग	--	600000	102000	22080	0	724080	0	70196	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		600000	102000	22080	0	730988	5100	70196	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	योग 0
योग	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	योग (8 से 13 तक) 0
योग (8 से 13 तक)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
APR-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
MAY-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
JUNE-20	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
JULY-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
AUG-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
SEPT-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
OCT-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
NOV-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
DEC-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
JAN-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
FEB-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
योग	--	618000	105060	22080	0	745140	0	72304	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		618000	105060	22080	0	752048	5100	72304	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
APR-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
MAY-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
JUNE-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
JULY-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
AUG-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
SEPT-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
OCT-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
NOV-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
DEC-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
JAN-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
FEB-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
योग	--	636800	108256	22080	0	767136	0	74504	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		636800	108256	22080	0	774044	5100	74504	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
APR-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
MAY-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
JUNE-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
JULY-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
AUG-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
SEPT-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
OCT-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
NOV-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
DEC-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
JAN-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
FEB-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
योग	--	656000	111520	22080	0	789600	0	76748	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		656000	111520	22080	0	796508	5100	76748	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
APR-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
MAY-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
JUNE-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
JULY-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
AUG-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
SEPT-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
OCT-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
NOV-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
DEC-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
JAN-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
FEB-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
योग	--	676000	114920	22080	0	813000	0	79088	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		676000	114920	22080	0	819908	5100	79088	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
APR-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
MAY-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
JUNE-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
JULY-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
AUG-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
SEPT-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
OCT-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
NOV-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
DEC-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
JAN-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
FEB-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
योग	--	696400	118388	22080	0	836868	0	81476	1044	
बोनस 2019-20						6908	5100			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		696400	118388	22080	0	843776	5100	81476	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87	
APR-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87	
MAY-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87	
JUNE-20	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87	
JULY-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
AUG-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
SEPT-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
OCT-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
NOV-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
DEC-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
JAN-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
FEB-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
योग	--	636800	108256	22080	0	767136	63680	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		636800	108256	22080	0	774044	68861	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
APR-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
MAY-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
JUNE-20	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
JULY-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
AUG-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
SEPT-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
OCT-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
NOV-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
DEC-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
JAN-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
FEB-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
योग	--	656000	111520	22080	0	789600	65600	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		656000	111520	22080	0	796508	70781	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
APR-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
MAY-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
JUNE-20	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
JULY-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
AUG-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
SEPT-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
OCT-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
NOV-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
DEC-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
JAN-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
FEB-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
योग	--	676000	114920	22080	0	813000	67600	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		676000	114920	22080	0	819908	72781	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
APR-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
MAY-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
JUNE-20	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
JULY-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
AUG-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
SEPT-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
OCT-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
NOV-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
DEC-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
JAN-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
FEB-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
योग	--	696400	118388	22080	0	836868	69640	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		696400	118388	22080	0	843776	74821	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
APR-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
MAY-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
JUNE-20	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
JULY-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
AUG-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
SEPT-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
OCT-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
NOV-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
DEC-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
JAN-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
FEB-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
योग	--	717600	121992	22080	0	861672	71760	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		717600	121992	22080	0	868580	76941	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
APR-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
MAY-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
JUNE-20	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
JULY-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
AUG-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
SEPT-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
OCT-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
NOV-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
DEC-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
JAN-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
FEB-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
योग	--	739200	125664	22080	0	886944	73920	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		739200	125664	22080	0	893852	79101	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
APR-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
MAY-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
JUNE-20	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
JULY-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
AUG-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
SEPT-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
OCT-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
NOV-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
DEC-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
JAN-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
FEB-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
योग	--	761600	129472	22080	0	913152	76160	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		761600	129472	22080	0	920060	81341	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
APR-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
MAY-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
JUNE-20	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
JULY-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
AUG-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
SEPT-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
OCT-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
NOV-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
DEC-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
JAN-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
FEB-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
योग	--	784400	133348	22080	0	939828	78440	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		784400	133348	22080	0	946736	83621	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
APR-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
MAY-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
JUNE-20	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
JULY-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
AUG-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
SEPT-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
OCT-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
NOV-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
DEC-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
JAN-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
FEB-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
योग	--	808000	137360	22080	0	967440	80800	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		808000	137360	22080	0	974348	85981	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
APR-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
MAY-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
JUNE-20	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
JULY-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
AUG-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
SEPT-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
OCT-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
NOV-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
DEC-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
JAN-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
FEB-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
योग	--	832000	141440	22080	0	995520	83200	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		832000	141440	22080	0	1002428	88381	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
APR-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
MAY-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
JUNE-20	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
JULY-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
AUG-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
SEPT-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
OCT-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
NOV-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
DEC-20	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
JAN-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
FEB-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
योग	--	856800	145656	22080	0	1024536	85680	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		856800	145656	22080	0	1031444	90861	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	50500	8585	1870	0	60955	5050	0	87	
APR-20	4800	50500	8585	1870	0	60955	5050	0	87	
MAY-20	4800	50500	8585	1870	0	60955	5050	0	87	
JUNE-20	4800	50500	8585	1870	0	60955	5050	0	87	
JULY-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
AUG-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
SEPT-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
OCT-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
NOV-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
DEC-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JAN-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
FEB-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
योग	--	618000	105060	22440	0	745500	61800	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		618000	105060	22440	0	752408	66981	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
APR-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
MAY-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JUNE-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JULY-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
AUG-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
SEPT-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
OCT-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
NOV-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
DEC-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
JAN-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
FEB-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
योग	--	636800	108256	22440	0	767496	63680	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		636800	108256	22440	0	774404	68861	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
APR-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
MAY-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
JUNE-20	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
JULY-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
AUG-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
SEPT-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
OCT-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
NOV-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
DEC-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
JAN-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
FEB-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
योग	--	656000	111520	22440	0	789960	65600	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		656000	111520	22440	0	796868	70781	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
APR-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
MAY-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
JUNE-20	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
JULY-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
AUG-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
SEPT-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
OCT-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
NOV-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
DEC-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
JAN-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
FEB-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
योग	--	676000	114920	22440	0	813360	676000	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		676000	114920	22440	0	820268	72781	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
APR-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
MAY-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
JUNE-20	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
JULY-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
AUG-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
SEPT-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
OCT-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
NOV-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
DEC-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
JAN-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
FEB-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
योग	--	696400	118388	22440	0	837228	69640	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		696400	118388	22440	0	844136	74821	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
APR-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
MAY-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
JUNE-20	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
JULY-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
AUG-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
SEPT-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
OCT-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
NOV-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
DEC-20	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
JAN-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
FEB-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
योग	--	717600	121992	22440	0	862032	71760	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		717600	121992	22440	0	868940	76941	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
APR-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
MAY-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JUNE-20	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JULY-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
AUG-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
SEPT-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
OCT-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
NOV-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
DEC-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
JAN-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
FEB-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
योग	--	705600	119952	22440	0	847992	70560	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		705600	119952	22440	0	854900	75741	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
APR-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
MAY-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
JUNE-20	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
JULY-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
AUG-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
SEPT-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
OCT-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
NOV-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
DEC-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
JAN-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
FEB-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
योग	--	761600	129472	22440	0	913512	76160	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		761600	129472	22440	0	920420	81341	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
APR-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
MAY-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
JUNE-20	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
JULY-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
AUG-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
SEPT-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
OCT-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
NOV-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
DEC-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
JAN-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
FEB-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
योग	--	784400	133348	22440	0	940188	78440	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		784400	133348	22440	0	947096	83621	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	योग
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	11. धारा 80 डी डीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
11. धारा 80 डी डीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	योग (8 से 13 तक)
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
4. शिक्षा उपकर 4%	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
5. कुल देय आयकर	4. शिक्षा उपकर 4%
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	5. कुल देय आयकर
7. स्रोत पर कर कटौती	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	7. स्रोत पर कर कटौती
	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
APR-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
MAY-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
JUNE-20	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
JULY-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
AUG-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
SEPT-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
OCT-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
NOV-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
DEC-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
JAN-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
FEB-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
योग	--	808000	137360	22440	0	967800	80800	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		808000	137360	22440	0	974708	85981	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	योग
योग	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	योग (8 से 13 तक)
योग (8 से 13 तक)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
APR-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
MAY-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
JUNE-20	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
JULY-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
AUG-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
SEPT-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
OCT-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
NOV-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
DEC-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
JAN-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
FEB-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
योग	--	832000	141440	22440	0	995880	83200	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		832000	141440	22440	0	1002788	88381	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
APR-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
MAY-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
JUNE-20	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
JULY-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
AUG-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
SEPT-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
OCT-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
NOV-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
DEC-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
JAN-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
FEB-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
योग	--	856800	145656	22440	0	1024896	85680	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		856800	145656	22440	0	1031804	90861	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
APR-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
MAY-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
JUNE-20	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
JULY-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
AUG-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
SEPT-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
OCT-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
NOV-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
DEC-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
JAN-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
FEB-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
योग	--	882800	150076	22440	0	1055316	88280	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		882800	150076	22440	0	1062224	93461	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
APR-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
MAY-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
JUNE-20	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
JULY-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
AUG-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
SEPT-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
OCT-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
NOV-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
DEC-20	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
JAN-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
FEB-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
योग	--	909200	154564	22440	0	1086204	90920	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		909200	154564	22440	0	1093112	96101	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	61500	10455	2100	0	74055	6150	0	87	
APR-20	5400	61500	10455	2100	0	74055	6150	0	87	
MAY-20	5400	61500	10455	2100	0	74055	6150	0	87	
JUNE-20	5400	61500	10455	2100	0	74055	6150	0	87	
JULY-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
AUG-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
SEPT-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
OCT-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
NOV-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
DEC-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
JAN-21	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
FEB-21	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
योग	--	752400	127908	25200	0	905508	75240	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		752400	127908	25200	0	912416	80421	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	योग
योग	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	योग (8 से 13 तक)
योग (8 से 13 तक)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
4. शिक्षा उपकर 4%	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
5. कुल देय आयकर	4. शिक्षा उपकर 4%
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	5. कुल देय आयकर
7. स्रोत पर कर कटौती	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	7. स्रोत पर कर कटौती
	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
APR-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
MAY-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
JUNE-20	5400	63300	10761	2100	0	76161	6330	0	87	
JULY-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
AUG-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
SEPT-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
OCT-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
NOV-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
DEC-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
JAN-21	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
FEB-21	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
योग	--	774800	131716	25200	0	931716	77480	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		774800	131716	25200	0	938624	82661	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
APR-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
MAY-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
JUNE-20	5400	65200	11084	2100	0	78384	6520	0	87	
JULY-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
AUG-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
SEPT-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
OCT-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
NOV-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
DEC-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
JAN-21	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
FEB-21	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
योग	--	798400	135728	25200	0	959328	79840	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		798400	135728	25200	0	966236	85021	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
APR-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
MAY-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
JUNE-20	5400	67200	11424	2100	0	80724	6720	0	87	
JULY-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
AUG-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
SEPT-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
OCT-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
NOV-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
DEC-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
JAN-21	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
FEB-21	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
योग	--	822400	139808	25200	0	987408	82240	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		822400	139808	25200	0	994316	87421	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
APR-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
MAY-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
JUNE-20	5400	69200	11764	2100	0	83064	6920	0	87	
JULY-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
AUG-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
SEPT-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
OCT-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
NOV-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
DEC-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
JAN-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
FEB-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
योग	--	847200	144024	25200	0	1016424	84720	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		847200	144024	25200	0	1023332	89901	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
APR-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
MAY-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
JUNE-20	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
JULY-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
AUG-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
SEPT-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
OCT-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
NOV-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
DEC-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
JAN-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
FEB-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
योग	--	872400	148308	25200	0	1045908	87240	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		872400	148308	25200	0	1052816	92421	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000)
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक)
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
APR-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
MAY-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
JUNE-20	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
JULY-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
AUG-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
SEPT-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
OCT-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
NOV-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
DEC-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
JAN-21	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
FEB-21	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
योग	--	898400	152728	25200	0	1076328	89840	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		898400	152728	25200	0	1083236	95021	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर

वर्ष 2020-21

आयकर विवरणी

नाम -	पद -
पिता/पति का नाम - श्री	जन्मतिथि -
विद्यालय का नाम -	वि०क्षेत्र -
स्थायी पता -	पैन नं० -
वेतन खाता सं० -	बैंक का नाम -

माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
APR-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
MAY-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
JUNE-20	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
JULY-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
AUG-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
SEPT-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
OCT-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
NOV-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
DEC-20	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
JAN-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
FEB-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
योग	--	925600	157352	25200	0	1108152	92560	0	1044	
बोनस 2019-20						6908	5181			
अन्य अवशेष										
अन्य अवशेष										
अन्य आय										
महायोग		925600	157352	25200	0	1115060	97741	0	1044	

हस्ताक्षर -
नाम -
पता -
विद्यालय -

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2021-22

Old Tax Regime (पुरानी कर व्यवस्था)	New Tax Regime (नई कर व्यवस्था)
1. कुल सकल आय	1. कुल सकल आय
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया	2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया 0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो	(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो 0
3. मानक कटौती (₹ 50000)	3. मानक कटौती (₹ 50000) 0
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)	4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान	5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान 0
6. शेष सकल आय (4-5)	6. शेष सकल आय (4-5)
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत) 0
(1) GPF/PPF	पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की छूट
(2) NPS	
(3) सामूहिक बीमा	
(4) व्यक्तिगत बीमा	
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान	
(6) टयुशन फीस	
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	योग 0
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों	8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000) 0
योग	9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-) 0
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)	10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/- 0
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)	11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक 0
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-	12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक) 0
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक	13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि) 0
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)	योग (8 से 13 तक) 0
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)	14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))
योग (8 से 13 तक)	15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))	1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%	(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%	(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर	3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट 0
4. शिक्षा उपकर 4%	4. शिक्षा उपकर 4%
5. कुल देय आयकर	5. कुल देय आयकर
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट
7. स्रोत पर कर कटौती	7. स्रोत पर कर कटौती
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर